

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई। दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 713]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2022 — अग्रहायण 22, शक 1944

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 05-88/2014/32.— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, जो केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना क्र. का. आ. 152(अ), नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 1988 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है, को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 05-88/2014/32, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 द्वारा जारी निर्देश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त निर्देश में,—

1. पैरा 2 के प्रथम परन्तुक के पश्चात्, अर्ध विराम चिन्ह “;” के स्थान पर, कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये तथा प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि 60 ग्राम प्रति वर्गमीटर (जीएसएम) के समतुल्य अथवा इससे अधिक के गैर-बुने हुए (नॉन वूवन) प्लास्टिक कैरी बैग्स के निर्माण, विक्रय, भण्डारण, आयात, परिवहन एवं उपयोग की छत्तीसगढ़ राज्य में अनुमति होगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप—सचिव.

Atal Nagar, the 9th December 2022

NOTIFICATION

No. F 05-88/2014/32.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) as delegated under Section 23 of the said Act by the Central Government's vide Notification No. S.O. 152(E), New Delhi, dated 10th February, 1988 to the State

Government, the State Government, hereby, makes the following amendment in the directions issued vide notification No. F 05-88/2014/32, dated 27th September, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the said direction,-

1. After first proviso of para 2, for the punctuation semi colon “;” the punctuation colon “:” shall be substituted and after first proviso, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided further that manufacture, sale, storage, import, transport and use of non-woven plastic carry bags equal to or more than 60 Gram Per Square Meter (GSM) shall be allowed in the State of Chhattisgarh.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C.TIRKEY, Deputy Secretary.